न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 374/2016

श्रीमति गिरिराज कंवर पत्नि श्री बृजभान सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर ।

— वादीयॉ

बनाम

1.जगन्नाथ सिंह पुत्र बालसिंह
2.भवरकंवर पत्नि भंवरसिंह
3.दुर्गेश पुत्र भंवरसिंह
4.सुरेन्द्र पुत्र भंवरसिंह
5.नारायण सिंह पुत्र चतरसिंह
6.ज्ञानकंवर पत्नि स्वर्गीय दशरथ सिंह
7.हनुमानसिंह पुत्र स्व0दशरथ सिंह
8.भागीरथसिंह पुत्र स्वर्गीय दशरथ सिंह
9.गणपत सिंह पुत्र स्व0 दशरथसिंह
10.उच्छबकंवर पुत्री स्व0 दशरथसिंह
11.ओमकंवर पुत्री स्व0 दशरथसिह
12.हेमकंवर पुत्री स्व0 दशरथसिंह.
तमाम जाति राजपूत निवासीगण कणौज तहसील केकड़ी जिला अजमेर
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब केकड़ी

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 188,53,209 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– श्री घीसालाल वकील– वादी
तहसीलदार केकड़ी – पैरोकार सरकार

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (जिला-अजमेर)

दिनांक 4.3.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयां ने वादपत्र बाबत् बॅटवारा हेतु प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम कणोज की राजस्व जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 61–3 मे वर्णित भूमि कुल किता 24 रकबा 20.45 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम सहखातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 का मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादिया का 1/6 हिस्सा है व वादिया उक्त हिस्से की खातेदार काश्तकार है जो राजस्व रेकार्ड मे वादिया के नाम दर्ज होती चली आ रही है। वादीयां के हक हिस्से मे अन्य किसी व्यक्ति का हक हिस्सा नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात मे वादिया का 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4का 1/18 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का 2/10 हिस्सा है। फसल काश्त करते समय व फसल को लेते समय आपस मे विवाद होता रहता है जिससे विवादग्रस्त आराजीयात का विधिवत् रूप से बॅटवारा करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीयां के वादवर्णित आराजीया तमे 1/6 हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे बाधा डालने से व आराजीयात का विधिवत् विभाजन नहीं होने तक प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अगर पांबद नहीं किया गया तो वादीया को न पूर्ति होने वाली क्षति होगी व बहुवाद कार्यवाही कार्यवाही का सामना करना पडेंगा। प्रतिवादी संख्या 12 वादग्रस्त भूमि का लेण्ड लोर्ड होने से फरीक मुकदमा बनाया गया है। वादिया को जवाब पेश करने का मौका दिया व अन्तिम बार कारण दिनांक 17.08.16को हुआ है तथा अब दिन प्रतिदिन सुनवाई कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर विधिवत् निर्णय व डिकरी 05.02.21 को पारित कर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकड़ी से मॅगवाया गया। तहसीलदार केकड़ी ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक/भू. अ./2020/2754 दिनांक 07.07.2020 दवारा बंटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

कमांक	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	गिरीराज कंवर पत्नि बृजभान सिंह कौम	981	0.22.	न.1	22.80

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:26 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

	राजपूत साकिन केकड़ी खातेदार राहिन बी. ओ.बी.शाखा केकड़ी	982 547 1688 1687/1 1689/1 1690/1	0.21 1.16 0.38 0.23 0.40 0.80	नं.1 चाही2,जाव 2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.02	
		किता 7	3.40		22.80
2	ओमकंवर पत्नि भगवानसिंह,कानसिंह,दीपूसिंह पि0 भगवान सिंह ,छोटूकंवर,दमराजकंवर,भंवरकंवर, विष्णुकंवर,संतोष कंवर,नेराज कंवर पुत्रियां भगवानसिंह हि09/135राहिन पी0एन0बी0 गणपत सिंह पुत्र दशरथ सिंह हि01/5,मानकंवर पत्नि जगन्नाथ सिंह,,जितेन्द्र सिंह,देवेन्द्र सिंह पिता जगन्नाथ सिंह हि0 3/25, महेन्द्र सिंह पुत्र जगन्नाथ हि0 1/25, पिंकी पुत्री जगन्नाथ सिंह,राहिन बी0ओ0बी0 शाखा केकड़ी,दुर्गेश ,सुरेन्द्र पुत्र भंवरसिंह ,भंवरकंवर पत्नि भंवरसिंह हि0 3/45राहिन बी0ओ0बी0 शाखा केकड़ी,भागीरथसिंह पुत्र दशरथसिंह राहिन आई0सी0आई बैंक शाखा केकड़ी हि0 1/5,हनुमानसिंह पुत्र दशरथ सिंह, बी0ओ0बी0केकड़ी हि0 1/5,नारायण सिंह पुत्र चतर सिंह हि01/15 कौम राजपूत साकिन देह खातेदार	1687 1689 1690 1695 1697 1696 1699 1705 1924 1925 348 548 583 686 851 855 857 949 951	0.23 2.30 0.23 0.44 0.89 1.48 0.82 1.73 1.24 1.20 1.08 0.53 0.71 1.13 0.69 0.48 0.44 1.02 0.39	बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 बा.2 चा.2,जाव 2 बा.1 बा.3 बा.3 बा.उत्तम ब.उत्तम चाही 2,जाव 2 च0 2	114. 40
		किता 19	17.03		114. 40

खसरा नंबर 950 रकबा 0.02 गै0मु0 चाह संयुक्त खाते मे रहेगा,बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक डिकरी के मीट एण्ड बाउण्डस के तैयार किया गया। प्रतिवादीगण के खिलाफ पूर्व मे ही एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी जा चुकी है। तथा वादी वकील को तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बॅटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने मे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली सीरी वगैराह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादिया के 1/6 हिस्से जो उसके बंटवारा के जरिये प्राप्त हुआ है के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पान्न न करें। वादिया द्वारा 450रू का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र प्रस्तुत करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (केकड़ी-अजमेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अ...

Scanned with CamScanner